भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2580
दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 / 28 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी एजेंडा

2580. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्माः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर कोई दस सूत्रीय एजेंडा प्रस्तावित किया गया है;
(ख) यदि हां, तो उक्त में उल्लिखित मुख्य बिंदु क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने उक्त एजेंडा बिंदुओं को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री ने नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर दस सूत्री एजेंडा प्रतिपादित किया है। यह सर्व-समावेशी एजेंडा आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और समुदाय की तैयारी से लेकर प्रौद्योगिकी के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कई मुद्दों को संबोधित करता है।

डीआरआर पर प्रधानमंत्री का दस सूत्रीय एजेंडा निम्नानुसार है :–

1. सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अवश्य अपनाना चाहिए।

2. जोखिम कवरेज की दिशा में गरीब परिवारों से लेकर एसएमई और बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर राष्ट्र तक सभी को शामिल किया जाना चाहिए।

3. आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व और अधिक केंद्रीय भागीदारी होनी चाहिए।

4. प्रकृति और आपदा जोखिमों की वैश्विक समझ को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश ।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2580, दिनांक 19.12.2023

5. आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

6. आपदा संबंधी मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना ।

7. सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करना ।

8. आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का निर्माण।

9. आपदाओं से सीखने के हर अवसर का उपयोग करना और उसे हासिल करने के लिए हर आपदा पर सबक अध्ययन करना ।

10. आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में अधिक एकजुटता लाना।

(ग) और (घ): प्रधान मंत्री का दस सूत्री एजेंडा व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है और वर्ष 2015 में भारत सहित 187 देशों द्वारा अपनाए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) को लागू करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रधान मंत्री के दस सूत्री एजेंडे के दस बिंदुओं में से प्रत्येक बिंदु एसएफडीआरआर के एक या अधिक कार्रवाई की प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है। इसके लिए न केवल आपदा प्रबंधन एजेंसियों बल्कि सरकार के सभी हिस्सों द्वारा सभी स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। डीआरआर पर प्रधान मंत्री के दस सूत्री एजेंडे की घोषणा के बाद से, सरकार ने इसके कार्यान्वयन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। प्रधान मंत्री के दस सूत्री एजेंडे के कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न हैं।

<u>दिनांक 19.12.2023 को उत्तर के लिए लो. स. अता. प्र. सं.2580 के (ग) और (घ) का अनुलग्नक</u>

डीआरआर पर प्रधानमंत्री के दस सूत्री एजेंडे के कार्यान्वयन की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम:

1. सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अवश्य अपनाना चाहिए।

(i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने वर्ष 2016 में देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) विकसित की है। योजना को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया है और इसे दस सूत्री एजेंडे के साथ संरेखित किया गया है। संशोधित एनडीएमपी केंद्र और राज्य स्तर के सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाता है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।

(ii) एनडीएमए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा कर, इनपुट प्रदान करता है और अनुमोदन प्रदान करता है । अब तक, एनडीएमए ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की 36 आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित किया है।

(iii) एनडीएमए ने डीआरआर के सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए विकास क्षेत्रों के लिए मानकों, कोड और उपनियमों के विकास का समर्थन किया है। पाइपलाइनों का भूकंपीय डिज़ाइन, प्रदर्शन-आधारित डिज़ाइन और इस्पात भवनों के लिए नई संरचनाओं का भूकंपीय डिजाइन और विवरण के कोड और उपनियमों का मानकीकरण और उन्नयन तैयार किया गया है।

(iv) प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद कि भारत आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संघटन (सीडीआरआई) की स्थापना की दिशा में काम करेगा, संघटन की रूपरेखा के बारे में आम सहमति बनाने के लिए कई वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परामर्श की एक श्रृंखला किए गए। दिनांक 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा संघटन का शुभारंभ किया गया था। अब तक, 37 देशों और 7 अन्य संगठनों ने इसके चार्टर का समर्थन किया है और सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। सीडीआरआई वर्तमान में 13 छोटे द्वीपिय विकासशील देशों को उनकी बुनियादी अवसंरचना प्रणालियों को आपदा प्रतिरोधी बनाने में सहायता कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सीडीआरआई बिजली और दूरसंचार जैसे विशिष्ट विकास क्षेत्रों में आपदा रेजिलिएंस को एकीकृत करने पर कार्य कर रहा है।

2. जोखिम कवरेज की दिशा में गरीब परिवारों से लेकर एसएमई और बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर राष्ट्र तक सभी को शामिल किया जाना चाहिए।

एनडीएमए, पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी आरई) और भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) जैसे कई राष्ट्रीय संस्थानों के साथ और बीमा उत्पादों को डिजाइन करने में एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के साथ कार्य कर रहा है।

3. आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व और अधिक केंद्रीय भागीदारी होनी चाहिए।

दिनांक 19.12.2023 को उत्तर के लिए लो. स. अता. प्र. सं. 2580 के (ग) और (घ) का अनुलग्नक

(i) एनडीएमपी को संशोधित करते समय, महिला सशक्तिकरण और आपदा जोखिम प्रबंधन में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता दी गई है।

(ii) आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को आपदा मित्र स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करके, देश में चक्रवात आश्रय प्रबंधन और रखरखाव समितियों (सीएसएमएमसी) के रखरखाव और प्रबंधन में 50% महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से बढ़ाया गया है। आपदा तैयारियों और बचाव कार्यों, प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आदि से संबंधित विभिन्न टास्क फोर्स समूहों में महिलाओं की मुख्य भूमिका सुनिश्चित की जाती है। 94,197 प्रशिक्षित आपदा मित्र स्वयंसेवकों में से 16,822 महिलाएं हैं।

(iii) आपदा तैयारियों और बचाव कार्यों, प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आदि से संबंधित विभिन्न कार्य बल समूहों में महिलाओं की मुख्य भूमिका सुनिश्चित की जाती है।

(iv) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की महिला टुकड़ियों को भी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) में तैनात किया जाता है।

4. प्रकृति और आपदा जोखिमों की वैश्विक समझ को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश ।

(i) एनडीएमए ने चक्रवात जोखिम शमन और मोचन के लिए एक वेब-आधारित डायनेमिक कम्पोजिट रिस्क एटलस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (वेब-डीसीआरए और डीएसएस टूल) विकसित किया है। इस उपकरण का उपयोग हाल के चक्रवातों जैसे बिपरजॉय (जून, 2023) और चक्रवात मिचौंग (दिसंबर, 2023) में सफलतापूर्वक किया गया है।

(ii) सरकार ने जोखिम संबंधी जानकारी को अद्यतन करने और इसे सभी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं ताकि सभी परियोजनाएं आपदा प्रतिरोधी हों।

(iii) राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) द्वारा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक बाढ़ संवेदनशील राज्यों के लिए और जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे तुलनात्मक रूप से कम बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बाढ़ जोखिम एटलस विकसित किया गया है।

(iv) भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) ने एक डिजिटल एटलस विकसित किया है जो देश के विभिन्न हिस्सों की विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परियोजना की तैयारी में इस जानकारी का उपयोग करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है।

(v) एनआरएससी ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 28,000 हिमनद झीलों का एक व्यापक डेटा सेट तैयार किया है।

(vi) राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दिल्ली का भूकंपीय माइक्रो-ज़ोनेशन तैयार किया है और कई अन्य शहरों के भूकंपीय माइक्रो-ज़ोनेशन के लिए सहायता की है।

<u>दिनांक 19.12.2023 को उत्तर के लिए लो. स. अता. प्र. सं.2580 के (ग) और (घ) का अनुलग्नक</u>

5. आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

(i) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) सभी प्रभावित/संभावित प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चक्रवात सहित नियमित और सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी बुलेटिन जारी करता है।

(ii) आईएमडी ने समकालीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाओं सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए अपने बुनियादी ढांचे का निरंतर विस्तार किया है। आईएमडी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बनने वाले चक्रवातों की मॉनीटरिंग के लिए उपग्रहों, रडारों और परंपरागत एवं स्वचालित मौसम केंद्रों से प्राप्त गुणवत्तापूर्ण अवलोकनों के संचय का उपयोग करता है। इसमें इनसैट (आईएनएसएटी) 3डी, 3डीआर और एससीएटीएसएटी उपग्रह, तट के साथ डॉपलर वेदर रडार (डीडब्ल्यूआर) और तटीय स्वचालित मौसम केंद्र (एडब्ल्यूएस), हाई स्पीड विंड रिकॉर्डर, स्वचालित वर्षा गेज (एआरडी), मौसम विज्ञान संबंधी buoys (बॉय्स) और जहाज शामिल हैं।

(iii) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी) के अंतर्गत तटीय राज्यों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं, जो हाल के चक्रवातों के दौरान तटीय समुदाय में चेतावनी प्रसारित करने में बहुत मददगार सिद्ध हुई हैं।

(iv) कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृतअलर्ट प्रणाली (सीएपी) की, 354.83 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, विभिन्न प्रसार माध्यमों, जैसे, एसएमएस, टीवी, रेडियो, भारतीय रेलवे, कॉस्टल सायरन, सेल प्रसारण, इंटरनेट (आरएसएस फ़ीड और ब्राउज़र अधिसूचना), गगन और नाविक आदि, का उपयोग कर और सभी चेतावनी एजेंसियों [भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई)] के एकीकरण के माध्यम से, सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में भारत के नागरिकों को आपदाओं से संबंधित भू-लक्षित प्रारंभिक चेतावनियों/अलर्टों के प्रसार के लिए शुरुआत की गई है। सीएपी प्रणाली में, विभिन्न आपदाओं से संबंधित चेतावनी प्रसारित करने वाली एजेंसियों जैसे आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, आईएनसीओआईएस, डीजीआरई और एफएसआई द्वारा चेतावनी जारी की जाती है जिसे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसडीएमए द्वारा संचालित किया जाता है। भू-लक्षित क्षेत्रों में चेतावनियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में भेजी जातीं हैं। चेतावनियों का अनुमोदन देने/संपादित करने और उनके प्रसार के लिए मीडिया चुनने के लिए आपदा प्रबंधकों हेतु एक वेब आधारित डैशबोर्ड है। हाल की आपदाओं में इस प्रणाली का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

(v) आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) आपात स्थिति में नागरिकों के लिए एक अखिल भारतीय एकल नंबर (112) आधारित आपातकालीन जवाब प्रणाली है। नागरिक पुलिस सहायता, अग्निशमन, एम्बुलेंस, महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा आदि से संबंधित घटनाओं पर तत्काल

<u>दिनांक 19.12.2023 को उत्तर के लिए लो. स. अता. प्र. सं.2580 के (ग) और (घ) का अनुलग्नक</u>

सहायता के लिए वॉयस कॉल, एसओएस, एसएमएस, ईमेल, वेब रिक्वेस्ट और मोबाइल ऐप पर पैनिक बटन के माध्यम से मदद का अनुरोध कर सकते हैं। देश में आपदा से संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए, राज्यों/जिलों में विभिन्न आपदा हेल्पलाइन नंबर प्रचालन हैं। प्रधान मंत्री के 'देश भर में सभी आपात स्थितियों के लिए एकल आपातकालीन नंबर' के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए, मौजूदा एकल नंबर "112" के साथ परियोजना "ईआरएसएस का विस्तार" शुरू की गई है, जो आपदाओं के लिए भी आपातकालीन कॉल से संबंधित समस्याओं का निवारण करेगा। इस परियोजना को आपदा से संबंधित आपातकालीन कॉलों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके।

(vi) आपदा से हुए नुकसान पर जिला स्तर तक के क्षेत्र-वार आंकड़े एकत्र करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) के विभिन्न लक्ष्यों पर प्रगति की निगरानी के लिए एक विस्तृत ऑनलाइन मॉड्यूल का विकास किए जाने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) को शुरू किया गया है।

6. आपदा संबंधी मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना ।

भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (IUINDRR-NIDM) की स्थापना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के तत्वावधान में, आपदा रेज़ीलिएस में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की भूमिका को उजागर करने के साथ डीआरआर के लिए मॉडल पाठ्यक्रम विकसित करने और विभिन्न स्तरों पर इसके एकीकरण के लिए की गई है। IUINDRR शिक्षा और नीति के बीच इंटरफेस के लिए एक मंच प्रदान करता है।यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ज्ञान उत्पादों के सहयोगात्मक विकास के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। अब तक 260 विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क में शामिल हुए हैं।

7. सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करना ।

(i) आम लोगों तक प्रारंभिक चेतावनियाँ और अलर्ट को समय पर प्रसारित करने के लिए कई नए मोबाइल एप्लिकेशन जैसे दामिनी, मौसम, सचेत आदि विकसित किए गए हैं।

(ii) जागरूकता सृजन गतिविधियों के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा समय-समय पर टेक्स्ट, लघु फिल्म, एफएक्यू के रूप में क्या करें और क्या न करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाते हैं।

(iii) एनडीएमए सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग, जनता को अविरत आपदा घटनाओं और उन पर सरकारों की प्रतिक्रिया के बारे में अपडेट करने के लिए, भी करता है। सोशल मीडिया का उपयोग प्रिंट मीडिया पर वितरित सामग्री (जैसे एनडीएमए अधिकारियों द्वारा लिखित ओपीईडी) और प्रसारण मीडिया (जैसे "आपदा का सामना" कार्यक्रम) की पहुंच बढ़ाने के लिए भी किया जाता है।

8. आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का निर्माण।

<u>दिनांक 19.12.2023 को उत्तर के लिए लो. स. अता. प्र. सं.2580 के (ग) और (घ) का अनुलग्नक</u>

(i) देश में स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारियों और मोचन क्षमता को मजबूत करने के लिए, सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए बहु-जोखिम आपदा संभावित 350 जिलों में आपदा से बचाव हेतु 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 369.40 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली आपदा मित्र योजना शुरू की गई है। अब तक 94,197 आपदा मित्र स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रत्येक स्वयंसेवक - आपदा मित्र या आपदा सखी - को आपदा में प्रतिक्रिया के लिए (उनके संचालन के क्षेत्र के लिए प्रासंगिक) दो सप्ताह का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है, एक आपातकालीन प्रतिक्रिया किट (ईआरके) से सुसज्जित किया जाता है, और पांच साल के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक जिले को आपदाओं के दौरान आपदा मित्र के उपयोग के लिए एक आपातकालीन आवश्यक संसाधन रिजर्व (ईईआरआर) प्रदान किया जाता है।

(ii) एनडीएमए ने, नागरिकों को आपदाओं में अपने रेजिलिएंस की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाने हेतु ऐसे ज्ञान उत्पाद तैयार किए हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए,

(अ) भूकंप और चक्रवात सुरक्षा (2019) के लिए गृह-स्वामी की मार्गदर्शिका, उन लोगों को विवरण प्रदान करती है जो चिनाई या प्रबलित कंक्रीट (आरसीसी) से बने घर बना रहे हैं और बहुमंजिला इमारतों में एक फ्लैट खरीद रहे हैं ।

(ब) भूकंप सुरक्षा के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश (2021), जो भूकंप प्रतिरोधी घर का निर्माण करते समय अनुपालन की जाने वाली न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करते हैं।

(iii) एनसीआरएमपी के तहत, विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण विकास के 24,007 सरकारी अधिकारियों को 925 क्षमता निर्माण प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। 68,988 सामुदायिक प्रतिनिधियों को 3,421 आश्रय स्तर प्रशिक्षणों के माध्यम से विभिन्न आपदा प्रतिक्रिया कौशल जैसे प्राथमिक चिकित्सा, खोज और बचाव और आश्रय प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया गया है।

(iv) एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन/मोचन के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन)के संबंध में सामुदायिक आपदा जागरूकता के विषय पर एक मॉक अभ्यास स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। एनडीआरएफ, भारत के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संवेदनशील स्कूलों में बच्चों को आपदा मोचन पर प्रशिक्षण देने के लिए "स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी)" को भी कार्यान्वित कर रहा है।

(v) लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, एनडीएमए और एनडीआरएफ द्वारा नियमित रूप से मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

9. आपदाओं से सीखने के हर अवसर का उपयोग करना और उसे हासिल करने के लिए हर आपदा पर सबक अध्ययन करना ।

<u>दिनांक 19.12.2023 को उत्तर के लिए लो. स. अता. प्र. सं.2580 के (ग) और (घ) का अनुलग्नक</u>

(i) एनआईडीएम और एनडीएमए सीखे गए सबक का दस्तावेजीकरण करने के लिए बड़ी आपदाओं के बाद क्षेत्र का दौरा करते हैं। ऐसे अध्ययनों के उदाहरणों में बिपरजॉय चक्रवात (जून 2023); कोविड प्रतिक्रिया में अच्छे अभ्यास (2022); गाजा चक्रवात (सितंबर 2019); तमिलनाडु बाढ़ (सितंबर 2017) शामिल हैं।

(ii) एनडीएमए ने विभिन्न विषयगत और क्रॉस-कटिंग मुद्दों पर जोखिम विशिष्ट आपदा के प्रबंधन के लिए तैंतीस (33) दिशानिर्देश जारी किए हैं।

10. आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में अधिक एकजुटता लाना।

(i) सरकार ने कई क्षेत्रीय संगठनों जैसे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के तहत सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाया है। इन संगठनों के माध्यम से, सरकार ने संयुक्त अभ्यास आयोजित करने के साथ-साथ आपदा प्रबंधन में अच्छी प्रथाओं को साझा करने की सुगमता प्रदान की है।

(ii) भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्थापित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के विचार-विमर्श के दौरान आपदाओं पर प्रभावी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई।

(iii) सरकार आपदा प्रभावित देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान कर रही है। 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना के तहत, भारत सरकार ने फरवरी, 2023 में बड़े पैमाने पर भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया को राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ और चिकित्सा टीमों को भेजकर तत्काल सहायता प्रदान की थी।

*****